न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 122/2024 निर्णय दिनांक :–22.04.2025

उनवानी दावा :

श्रीमति रामघणी पत्नि प्रकाश जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा तहसील जिला टोंक राज0
–वादीया–

बनाम

1. अनोक पत्नि बद्री जाति मीणा जाति की उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
2. बद्री पुत्र सुखपाल जाति मीणा जाति की उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
4. तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4

उद्‌घोषणा दावा बाबत इन्द्राज दुरुस्ती नक्शा शीट, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1865/857 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम ठिकरियांकलां पटवार हल्का ठिकरियांकलां तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे स्थित है। वादिया ने वाद में वर्णित आराजी भूमि को खातेदार प्रहलाद पुत्र गेंदीलाल, गोपाली पत्नी प्रहलाद जाति भीना निवासी सतवाड़ा से जरिये रजि0 विकय पत्र दिनांक 27.05.2011 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसके आधार पर वादीया के नाम नामांतकरण भी खुल चुका है। वादीया वर्तमान मे वाद वर्णित भूमि की खातेदार काश्तकार है। वादीया द्वारा उक्त भूमि खरीदे जाने के समय एवं उसके पश्चात कुआं खुदवाने के समय तक भी खसरा नम्बर 857 व 1865/857 की अलग–अलग तरमीम राजस्व रिकार्ड नक्शा शीट मे नही हो रखी थी। वादीया ने वाद वर्णित भूमि को खरीदने के पश्चात वादीया द्वारा कुंआ भी खुदवाया गया है जिससे वादीया अपनी भूमि को सिचिंत करती है तथा उक्त कुएं पर वादीया के नाम कृषि कनेक्शन भी हो रखा है। खसरा नम्बर 857 एवं खसरा नम्बर 1865/857 पूर्व मे एक ही खेत था। खातेदार प्रहलाद पुत्र गेन्दीलाल, गोपाली पत्नि प्रहलाद जाति मीणा का खसरा नम्बर 857 की उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ की भूमि पर कब्जा था तथा उक्त कब्जे अनुसार ही वादीया को कब्जा संभलाया गया था तब से ही वादीया का उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ कब्जा चला आ रहा है। वादीया द्वारा भूमि खरीदने एवं वादीया द्वारा उक्त भूमि मे कुएं का निर्माण कराने के पश्चात नक्शा सीट मे वादीया की भूमि को गलत रूप से पूर्वी दिशा की तरफ तरमीम कर दी गई है जबकि पूर्वी दिशा की तरफ की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 857 है तथा खसरा नम्बर 857 की जगह वादीया की खातेदारी की भूमि की एवं वादीया की खातेदारी की भूमि की जगह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि की तरमीम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, बिना मोका व कब्जा देखे, बिना जांच किये गलत रूप से कर दी गई है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। आज भी नक्शा शीट मे प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की भूमि की

22.04.25

Scanned with OKEN Scanner

तरमीम की जगह पर वादीया का कब्जा काश्त है तथा कुआं खुदा हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मन मे बेईमानी आने से नक्शा सीट मे उक्त गलत रूप से की गई तरमीम के आधार पर वादीया को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन से बेदखल कर नाजायज रूप से कब्जा करने पर आमादा हो रहे है तथा वादीया के कब्जे काश्त मे मजामहत कर रहे है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उसके द्वारा किये जा रहे उक्त अवैध कृत्य से रोका जाना नितान्त आवश्यक एवं अनिवार्य है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिये पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंट, नोकर, चाकर एवं पारिवारिक सदस्यो के नक्शा सीट मे उक्त गलत रूप से की गई तरमीम के आधार पर वाद वर्णित आराजी भूमि जिस पर वादीया का कब्जा काश्त है तथा कुआं खुदा हुआ है, से वादीया को बेदखल नही करे, भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, वादीया के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वादीया अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगी तथा अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी तरह से संभव नही होगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढ़ेगी। वाद कारण आज से 5 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब नक्शा सीट मे गलत रूप से की गई तरमीम के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीया को जमीन से बेदखल कर नाजायज रूप से कब्जा करने की धमकी दी तथा वादीया के कब्जे काश्त मे मजामहत की तब से लगातार उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 राज्य सरकार एवं उनके प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का दो माह का कानूनन नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त वाद अर्जेन्ट नेचर का है इस कारण बिना नोटिस दिये ही उक्त वाद पेश है जिसकी स्वीकृति के लिये धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है। वाद वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।वाद उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद दो प्रतियों में पेश है।

अतः वादीया की अधियाचना है कि :–

अ–वाद बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत इन्द्राज दुरुस्ती नक्शा शीट डिकी किया जाकर हाल नक्शा शीट मे गलत रूप से की गई तरमीम को मोके पर कब्जे अनुसार दुरुस्त कर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 857 रकबा 0.90 है0 की जगह वादीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1865/857 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम ठिकरियांकलां जिला टोंक राज0 की तरमीम की जावे।

ब–वाद बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिये पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंट, नोकर, चाकर एवं पारिवारिक सदस्यो के नक्शा सीट मे उक्त गलत रूप से की गई तरमीम के आधार पर वाद वर्णित आराजी भूमि जिस पर वादीया का कब्जा काश्त है तथा कुआं खुदा हुआ है, से वादीया को बेदखल नही करे, भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, वादीया के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

स–खर्चा मुकदमा दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादीया के हित मे लाभप्रद हो, प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाबजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। 22.4.25

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 श्रीमती रामघणी पत्नी प्रकाश जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0, पी. डब्ल्यू–2 धर्मराज पुत्र रामकिशन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0 व पी. डब्ल्यू–3 महेन्द्र पुत्र लादू जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0 के पेश किये।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 असल विक्रय पत्र, प्रदर्श–2 जमाबन्दी खाता संख्या 371, प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–4 जमाबंदी खाता संख्या 208, प्रदर्श–5 लाईट का बिल पेश किये है।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने से जिरह निल रही।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद मिमो को दोहरान करते हुए कथन किया कि वादीया ने विवादित भूमि जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2011 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसके आधार पर वादीया के नाम नामांतकरण भी खुल चुका है। वादीया द्वारा उक्त भूमि खरीदे जाने के समय एवं उसके पश्चात कुआं खुदवाने के समय तक भी खसरा नम्बर 857 व 1865/857 की अलग–अलग तरमीम राजस्व रिकार्ड नक्शा शीट मे नही हो रखी थी तथा उक्त कुएं पर वादीया के नाम कृषि कनेक्शन भी हो रखा है। खसरा नम्बर 857 एवं खसरा नम्बर 1865/857 पूर्व मे एक ही खेत था। वादीया को उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ कब्जा संभलाया गया था । वादीया द्वारा भूमि खरीदने एवं वादीया द्वारा उक्त भूमि मे कुएं का निर्माण कराने के पश्चात नक्शा सीट मे वादीया की भूमि को गलत रूप से पूर्वी दिशा की तरफ तरमीम कर दी गई है जबकि पूर्वी दिशा की तरफ की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 857 है तथा खसरा नम्बर 857 की जगह वादीया की खातेदारी की भूमि की एवं वादीया की खातेदारी की भूमि की जगह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि की तरमीम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, बिना मोका व कब्जा देखे, बिना जांच किये गलत रूप से कर दी गई है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। आज भी नक्शा शीट मे प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की भूमि की तरमीम की जगह पर वादीया का कब्जा काश्त है तथा कुआं खुदा हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मन मे बेईमानी आने से नक्शा सीट मे उक्त गलत रूप से की गई तरमीम के आधार पर वादीया को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन से बेदखल कर नाजायज रूप से कब्जा करने पर आमादा हो रहे है तथा वादीया के कब्जे काश्त मे मजामहत कर रहे है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादीया का वाद स्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–1 पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 27.05.11 के अनुसार वादीया ने प्रहलाद पुत्र गेन्दीलाल व गोपाली पत्नी प्रहलाद से ख. नं. 1865/857 रकबा 0.90 है0 का क्रय किया। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के अनुसार ख. नं. 1865/857 रकबा 0.90 है0 वादीया खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है।प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस दिनांक 08.08.2022 के अनुसार दक्षिण पूर्व की ओर ख. नं. 1865/857 व उतर पश्चिम की ओर ख. नं. 857 दर्शित है। प्रदर्श–4 ख. नं. 857 रकबा 0.90 है0 के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दर्शित है। प्रदर्श–5 वादीया के नाम बिजली बिल है।

उक्त प्रदर्शित दस्तावेजो का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि पूर्व में आराजी ख. नं. 1865/857 व 857 एक ही खेत था। वादीया द्वारा ख. नं. 1865/857 को क्रय करने के बाद वादीया को नक्शा ट्रेस अनुसार उतर पश्चिम के कब्जा संभलाया गया था जहां पर वह लगातार काबिज काश्त रही है, इसकी ताईदी साक्ष्य शपथ पी. डब्ल्यू–1 से 3 से होती है। इससे स्पष्ट होता है राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से उक्त दोनो ख. नं. की तरमीर वास्तविक तरमीम से उल्टी कर दी गई जबकि वादीया का कब्जा उतर–पश्चिम दिशा

22.4.25

में है। उक्त तरमीम को कब्जे अनुसार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से वाद को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम ठिकरिया कला तहसील दूनी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के ख. नं. 1865/857 रकबा 0.90 है0 की तरमीम उतर–पश्चिम दिशा में व ख. नं. 857 रकबा 0.90 है0 की तरमीम दक्षिण पूर्व मे कर नक्शा ट्रेस दुरूस्त करे। तद्नुरूप मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करे, वादीगण व प्रतिवादीगण के लिए सीमाचिन्ह निर्धारित करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये एजेन्ट, नोकर चाकर के वादीया की खातेदारी भूमि के कब्जेकाश्त में मजामहत उत्पन्न नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 22.04.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली

व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोक.....

उनवानी दावा :

उनवानी दावा :

श्रीमति रामघणी पत्नि प्रकाश जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा तहसील जिला टोंक राज0

—वादीया—

बनाम

1. अनोक पत्नि बद्री जाति मीणा जाति की उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
2. बद्री पुत्र सुखपाल जाति मीणा जाति की उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
4. तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

उद्घोषणा दावा बाबत इन्द्राज दुरुस्ती नक्शा शीट, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 122 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता वादीया मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम ठिकरिया कला तहसील दूनी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के ख. नं. 1865/857 रकबा 0.90 है0 की तरमीम उतर—पश्चिम दिशा में व ख. नं. 857 रकबा 0.90 है0 की तरमीम दक्षिण पूर्व मे कर नक्शा ट्रेस दुरूस्त करे। तद्नुरूप मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करे, वादीगण व प्रतिवादीगण के लिए सीमाचिन्ह निर्धारित करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये एजेन्ट, नोकर चाकर के वादीया की खातेदारी भूमि के कब्जेकाश्त में मजामहत उत्पन्न नहीं करे।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 04 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

मुहर

ओहदा .....उपखण्ड अधिकारी देवली

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.

स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

Scanned with OKEN Scanner